

फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा निवासी वार्ड नं. 34 पो0 देवगढ़ मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
- अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़

- प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा - अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 46/2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 01.07..2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक:- आरटीआई/08/अपील- 46/2025/262 दिनांक 18.06.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. श्री उदयलाल कंसारा निवासी देवगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंकित दिनांक 14.04.2025 ऑनलाईन क्रमांक 244570824764182 का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ। उक्त सूचना कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/08/228 दिनांक 30.05.2025 द्वारा प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार सूचना अधूरी एवं अस्पष्ट होने तथा विवरण में विशिष्टियां यथा प्रकरण संख्या, पत्र क्रमांक दिनांक नहीं दर्शाये जाने से चाही गयी सूचना तक पहुंच बनाया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निरस्त कराना फरमावे।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अधूरी, अस्पष्ट विशिष्टियां विहित होने से चाही गयी सूचना तक पहुंच बनाया जाना संभव नहीं है। तथा उक्त बाबत लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक सु.का.अ./08/2025/ 228 दिनांक 30.05.2025 से सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है और अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना हेतु स्पष्ट व विशिष्टियां सहित नियमानुसार आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त करें।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



[Signature]
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद